भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5018
दिनांक 01 अप्रैल, 2025/ 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं का समावेशन

5018. श्री सुनील कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की तरह भोजपुरी भाषा को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भोजपुरी भाषा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है; और

(ग) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल किया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): 'भोजपुरी' सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

उपलब्ध सूचना अनुसार, भारत के अलावा अन्य देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 5018, दिनांक 01.04.2025

चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

*****